ई–निविदा सूचना

(केवल ई–टेण्डरिंग वेबसाइट **(https://etender.up.nic.in)** के माध्यम से)

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ परिसर की अधिकतम 3 शिफ्ट/24 घंटे की सुरक्षा करने के लिये गनमैन तथा सुरक्षा गार्ड एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित फर्म/संस्थाओं से ई–निविदायें On-line (https://etender.up.nic.in) e-tender के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	विवरण
1.	निविदा की अनुमानित लागत	लगभग रू0 10,00,000/– से कम (रू0 दस लाख से कम)
2.	अर्नेस्ट मनी	रू0 25,000/–(पच्चीस हजार मात्र)
3.	निविदा प्रपत्र की धनराशि	रू0 1,000/– (एक हजार मात्र–नान रिफन्डेबल) डी0डी0 के रूप में जो कि महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के नाम से देय हो।
4.	निविदा प्रकाशन की तिथि	दिनांक 09.11.2020 समय दोपहर 12:00 बजे
5.	ई–निविदा अपलोड/जमा करने की प्रारम्भ तिथि व समय	दिनांक 10.11.2020 समय दोपहर 12:00 बजे
6.	ई–निविदा पोर्टल पर ई–निविदा प्राप्त करने की तिथि व समय	दिनांक 10.11.2020 समय अपराह्न 03:00 बजे
7.	ई–निविदा प्राप्त करने/डाउनलोड/क्रय करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 01.12.2020 समय सायं 05:00 बजे तक
8.	ई–निविदा पोर्टल द्वारा ई–निविदा आन लाइन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 01.12.2020 समय सायं 06:00 बजे तक
9.	ई–निविदा पोर्टल द्वारा ई–निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि, समय व स्थान	दिनांक 04.12.2020 दोपहर 12:30 बजे स्थान–कार्यालय महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ
10.	बिड वैधता की अवधि	30 दिन
11.	कार्य की अवधि	365 दिन

निविदा प्रपत्र ई–निविदा की वेबसाइट https://www.sirdup.in पर भी देखी जा सकती है। इच्छुक फर्मों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के संबंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेब साइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

o/c for महानिदेशक

ई–निविदा : शर्तें

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ परिसर की अधिकतम 3 शिफ्ट/24 घंटे की सुरक्षा करने के लिये गनमैन तथा सुरक्षा गार्ड एक वर्ष की अवधि हेतु संबंधित फर्म/संस्थाओं से ई–निविदायें On-line (https://etender.up.nic.in) e-tender के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं। केवल वही निविदादाता ई–निविदायें डालें जो ई–पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

1. निविदा प्रक्रिया को ई–निविदा पोर्टल पर तकनीकी बिड में उल्लिखित प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड किया जाना होगा तथा वित्तीय बिड में अपनी दरों को अंकित करते हुए वित्तीय बिड नियमानुसार अपलोड करना होगा।

2. निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को ई–पोर्टल पर अपलोड करना होगा :–

   क– फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति
   ख– आयकर पंजीयन/पैन कार्ड की प्रति।
   ग– जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
   घ– श्रम विभाग में पंजीकरण की छाया प्रति
   ड.– सर्विस चार्ज टी0डी0एस0 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
   च– विगत 3 वर्षों (2016–17, 2017–18, 2018–19 तक) में कुल 50 लाख की टर्न ओवर।
   छ– पिछले 3 वर्षों (2016–17, 2017–18, 2018–19 तक) में सुरक्षा कार्य का अनुभव।
   ज– ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   झ– उ0प्र0 प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2009 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा अनुज्ञप्ति प्रारूप 6 की छायाप्रति संलग्न करें।
   ट– निविदादाता द्वारा अर्नेस्टमनी डिपाजिट के रूप में रू0 25,000/–(पच्चीस हजार रू0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो "महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में लखनऊ में देय हो, तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाय। बिना अर्नेस्टमनी डिपाजिट के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
   ठ– निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में रू0 1000/–(रू0 एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि नान रिफन्डेबल होगा "महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में देय होगा, की प्रति तकनीकी बिड के साथ नियमानुसार अपलोड किया जायेगा।
   ड– अर्नेस्ट मनी व निविदा–प्रपत्र शुल्क के बैंक ड्राफ्ट निविदा खुलने की तिथि 16.03.2020 को पूर्वाह्न 11:30 बजे तक कार्यालय महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ में मूल रूप में जमा करना अनिवार्य है।

<u>उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 पर उल्लिखित सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये जायेंगे।</u>

3. अर्नेस्टमनी तथा निविदा प्रपत्र शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट तकनीकी ई–निविदा खोले जाने वाले दिनांक को प्रातः 11:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में मूल प्रति के रूप में जमा करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेंगी।

4. एजेन्सी को किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार कार्यालय/उपक्रम/प्रतिष्ठान में सुरक्षा सेवा प्रदान करने का अनुभव हो।

5. ई–निविदा की शर्ते एवं कार्य विवरण दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के बेवसाइट www.sirdup.in अथवा https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

6. अस्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी डिपाजिट की धनराशि निविदा खुलने के तीन माह के भीतर लौटा दी जायेगी।

7. यह कार्य ई–निविदा, कार्य अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त अवधि में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। ई–निविदा में दिये गये मानक की दरें ही मान्य होगी।

8. सफल निविदादाता के द्वारा रू0 50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) सिक्योरिटी डिपाजिट्स के रूप में एफ0डी0आर0 जो कि ''महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ'' के पक्ष में देय हो, जमा किया जायेगा। उक्त सिक्योरिटी डिपाजिट्स को अनुबन्ध अवधि में संतोषजनक कार्य की समाप्ति के उपरान्त निविदादाता को वापस कर दिया जायेगा। उक्त सिक्योरिटी डिपाजिट्स की धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा में सफल निविदादाता द्वारा अर्नेस्ट मनी डिपाजिट्स की धनराशि को सिक्योरिटी डिपाजिट्स में समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि को जमा किया जा सकेगा। किसी भी क्षति होने पर उसकी पूर्ति सिक्योरिटी डिपाजिट धनराशि से कर ली जाएगी।

9. कार्य आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर समस्त वांछित कार्य प्रारम्भ करना होगा।

10. बिलों का भुगतान कार्य परीक्षण के पश्चात् सन्तोषजनक पाए जाने पर किया जायेगा।

11. फर्म द्वारा लगाये जाने वाले सुरक्षा गार्ड/गनमैन का सत्यापन स्थानीय पुलिस से कराना आवश्यक होगा तथा पुलिस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। सुरक्षाकर्मी को निर्धारित यूनीफार्म में ही रहना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक कर्मी के पास परिचय पत्र होना अनिवार्य होगा, जो उसे ड्यूटी पर हमेशा डिस्प्ले करेंगे। उक्त सुरक्षा कर्मियों द्वारा धारित किसी अवैधानिक कृत्य की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/संस्था की होगी और ऐसे सुरक्षा कर्मी को तुरन्त हटाकर उसके उचित प्रतिस्थानी की व्यवस्था संबंधित फर्म/संस्था द्वारा की जायेगी।

12. निविदा की शर्तो के अनुरूप कार्य न होने पर मासिक बिल की धनराशि से पेनाल्टी स्वरूप 30 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है। इसके बाद भी सुधार न होने पर उक्त कार्य आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

13. किसी भी एक निविदा को अथवा सभी निविदाओं को महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद पर वाद का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।

14. किसी भी फर्म/संस्था द्वारा ई–निविदा डालने पर यह मान लिया जायेगा कि फर्म/संस्था को उपरोक्त सभी शर्ते मान्य हैं।

15. प्रत्येक फर्म /संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक सुरक्षा कानून एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1984 की सभी धाराओं का एवं श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों व निर्देशों का पालन करेगी तथा उसकी अवहेलना करने पर वह स्वयं उत्तरादायी होगी।

16. फर्म/संस्था को अनुलग्नक 1 में उल्लिखित सुरक्षा से सम्बन्धित सभी कार्य सन्तोषजनक ढंग से सम्पादित करने होंगे।

17. अनुमन्य दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। संतोषजनक सेवा की स्थिति में महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा उक्त अवधि को आवश्यकतानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

18. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मात्र दर–अनुबन्ध की निविदा है । अतः निविदा फर्म के सुरक्षा कर्मियों के समायोजन या श्रमिक कानूनों के अनुपालन का सम्पूर्ण उत्तरादायित्व संबंधित निविदादाता फर्म/संस्था का होगा। संस्थान उसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरादायी नहीं होगा।

19. कोई भी सुरक्षाकर्मी स्थानीय नहीं होगा। प्रत्येक तीन माह पर इन्हें बदलते रहना होगा।

20. संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति/घटना होने पर उसकी क्षतिपूर्ति कार्यदायी सुरक्षा एजेन्सी को करनी होगी।

21. फर्म/संस्था द्वारा वित्तीय बिड में केवल सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन के 8 घण्टे की मजदूरी देनी होगी, जिससे सभी भत्तों के साथ–साथ EPF, ESIC, रीलिविंग, सर्विस चार्ज आदि सम्मिलित होंगे। यह भी उल्लिखित किया जाता है कि यदि फर्म/संस्था द्वारा सर्विस चार्ज टी0डी0एस0 कटौती से कम दर्शाया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा तथा वह निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

22. संस्थान के महानिदेशक का सुरक्षा से सम्बन्धित किसी भी मामले में लिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

23. कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के EPF एवं ESIC की मासिक कटौती का व्यौरा उनके एकाउण्ट नम्बर सहित कार्यालय को प्रतिमाह उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त की कटौती बिल की धनराशि अथवा सिक्योरिटी डिपाजिट्स से कर ली जाएगी जिसकी पूरी जिम्मेंदारी संस्था/फर्म की होगी।

24. GST/CST संस्थान द्वारा अलग से देय होगा।

डा0 शुभकरन सिंह
सहायक निदेशक

महानिदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ

सुरक्षा अनुभाग के कार्य

1. संस्थान परिसर तथा आपदा प्रबन्धन केन्द्र परिसर के सभी भवनों तथा सभी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना।
2. किसी समान की चोरी होने पर अथवा किसी भी घटना/दुर्घटना होने पर उसकी क्षतिपूर्ति कार्यदायी सुरक्षा एजेन्सी से की जायेगी।
3. सभी सुरक्षाकर्मी प्रापर यूनीफार्म में समय से उपस्थित हो करके संस्थान के सभी स्थानों एवं चल–अचल परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करेंगे।
4. किसी सुरक्षा कर्मी के देरे से आने या अनुपस्थित होने अथवा सोते हुए पाए जाने अथवा आपत्तिजनक स्थिति में पाये जाने पर उसका पारिश्रमिक काटते हुए उसे दण्ड भी दिये जायेगें, दूसरे शिफ्ट के सुरक्षा कर्मी के आने के बाद ही पहले शिफ्ट के सुरक्षा कर्मी द्वारा परिसर छोड़कर जाना होगा।
5. किसी कर्मी के अनुपस्थित होने पर उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करना कार्यदायी सुरक्षा एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
6. कार्यदायी एजेन्सी द्वारा प्रत्येक गनमैन एवं सुरक्षा गार्ड्स की गतिविधियों द्वारा दिए गये निर्देशों का सुरक्षा कर्मी पालन करेंगे, ऐसा न करने पर अनुशासनहीनता माना जाएगा।
7. फर्म/संस्था के प्रतिनिधि प्रति सप्ताह किए गये सुपरविजन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

डा0 शुभकरन सिंह
सहायक निदेशक

महानिदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ

ई–निविदा प्रपत्र

(वित्तीय बिड)

क्र0 सं0	सुरक्षा व्यवस्था का विवरण	न्यूनतम मजूदरी (मजदूरी अधिनियम–1948 के अनुसार प्रतिमाह (30 दिन) सभी भत्तों, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0, रिलीविंग सर्विस चार्जेज आदि सहित)
1	2	3
1.	सुरक्षा गार्ड (08 घंटे हेतु/प्रतिदिन)	
2.	गनमैन (08 घंटे हेतु/प्रतिदिन)	

नोट–: GST/CST अलग से संस्थान द्वारा देय होगा।

डा0 [illegible] सिंह
सहायक निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर